उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-129/2025/2853/तीस-3-2025
लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर , 2025

अधिसूचना

चूंकि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा-28, 38, 65, 96 और 138 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, जिस उत्तर प्रदेश मोटरयान (इकतीसवां संशोधन) नियमावली, 2025 को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसे पूर्वोक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित अधिसूचना संख्या-32/2025/1004/तीस-3-2025, दिनांक 22 अप्रैल, 2025 द्वारा उक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीस दिवस की अवधि के भीतर उसके सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था ;

और चूंकि प्रस्तावित नियमावली के संबंध में विहित अवधि के भीतर किसी से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा-28, 38, 65, 96 और 138 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश मोटर यान (इकतीसवां संशोधन) नियमावली, 2025

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td>1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटर यान (इकतीसवां संशोधन) नियमावली, 2025 कही जाएगी।
(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।</td></tr>
<tr><td>नियम 3 का संशोधन</td><td>2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998, जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
<table>
<tr><th>स्तम्भ-एक</th><th>स्तम्भ-दो</th></tr>
<tr><th>(विद्यमान नियम)</th><th>(एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)</th></tr>
<tr><td>अनुज्ञापन प्राधिकारी- सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, प्राधिकृत किया गया हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।</td><td>अनुज्ञापन प्राधिकारी

3- अनुज्ञापन प्राधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा मोटर यान निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, प्राधिकृत किया गया हो।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

नियम 19 का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम-19 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-एक	**स्तम्भ-दो**
(विद्यमान नियम)	**(एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)**
19. अनुज्ञापन प्राधिकारी- अधिनियम के अध्याय-तीन के अधीन परिवहन विभाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	**अनुज्ञापन प्राधिकारी** 19. अधिनियम के अध्याय-तीन के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा मोटर यान निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

नियम 37 का संशोधन

4- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम 37 के विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो
(विद्यमान उप नियम)	(एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम)
(1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक होगा जैसा सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाय।	(1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा मोटर यान निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिनियम और तद्दीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

आज्ञा से,

ह0/-

(अर्चना अग्रवाल)

अपर मुख्य सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 129/2025/2853/XXX-3-2025 dated 11 December, 2025

Notification

No. 129/2025/2853/xxx-3-2025
Lucknow ; Dated : 11 December, 2025

WHEREAS the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Thirty-first Amendment) Rules, 2025 which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sections 28, 38, 65, 96 and 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) was published vide Notification no. 32/2025/1004/XXX-3-2025 dated 22 April, 2025 as required under sub-section (1) of section 212 of the aforesaid Act of 1988 inviting objections and suggestions in respect thereof within a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Gazette;

AND WHEREAS no objection and suggestion was received from anyone within the prescribed period with respect to the proposed rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sections 28, 38, 65, 96 and 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, namely:-

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (THIRTY-FIRST AMENDMENT) RULES, 2025

<table>
<tr><td>Short title and commencement</td><td>1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Thirty-first Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.</td></tr>
<tr><td>Amendment of rule 3</td><td>2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, hereinafter referred to as the "said rules", for the existing rule 3 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-
<table>
<tr><th>Column-I</th><th>Column-II</th></tr>
<tr><td>(Existing rule)</td><td>(Rule as hereby substituted)</td></tr>
<tr><td>Licensing authority
3. The licensing authority shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Regional Inspector or the Assistant Regional Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority under this chapter.</td><td>Licensing authority
3. The licensing authority shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Motor Vehicle Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority under this Chapter.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Amendment of rule 19</td><td>3. In the said rules, for the existing rule 19 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-
<table>
<tr><th>Column-I</th><th>Column-II</th></tr>
<tr><td>(Existing rule)</td><td>(Rule as hereby substituted)</td></tr>
<tr><td>Licensing authority</td><td>Licensing authority</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	19. The licensing authority under Chapter III of the Act shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Regional Inspector or the Assistant Regional Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority.	19. The licensing authority under Chapter III of the Act shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Motor Vehicle Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority.

Amendment of rule 37

4. In the said rules, for the existing sub-rule (1) of rule 37 set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

Column-I	**Column-II**
(Existing sub-rule)	***(Sub-rule as hereby substituted)***
(1) The registering authority shall be the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer or such Regional Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of the registering authority under the provisions of the Act and the rules made there under.	(1) The registering authority shall be the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer or such Motor Vehicle Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of the registering authority under the provisions of the Act and the rules made there under.

By order,

(Archana Agarwal)
Additional Chief Secretary.

संख्या-129/2025/2853(1)/तीस-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि - संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 के असाधारण गजट के परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 25 प्रतियां परिवहन अनुभाग-3, कक्ष संख्या-323, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

ह0/-

(नितिन कुमार गुप्त)

उप सचिव।

संख्या-129/2025/2853(2)/तीस-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि - निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन प्रभाग), उ0प्र0, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए, उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

ह0/-

(नितिन कुमार गुप्त)

उप सचिव।

संख्या-129/2025/2853(3)/तीस-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
(3) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0।
(4) समस्त उप परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(5) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(6) समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(7) समस्त मोटर यान निरीक्षक, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(8) परिवहन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(राम जतन)

अनु सचिव।